भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1975

दिनांक 01.08.2023 को उत्तरार्थ

पश्चिम बंगाल में ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना

1975. डॉ. सुकान्त मजूमदार:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके अंतर्गत हुई प्रगति का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना के अंतर्गत पंचायतों में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं और उपकरणों का ब्यौरा क्या है;

(घ) किसी पंचायत को ई-पंचायत में परिवर्तित करने के लिए खर्च की जाने वाली संभावित निधियों का ब्यौरा क्या है;और

(ङ) पश्चिम बंगाल के उत्तरी और दक्षिणी दिनाजपुर जिलों में आबंटित और खर्च की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)

(क) और (ख) जी, हाँ। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, पंचायती राज मंत्रालय पश्चिम बंगाल सहित देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी)

लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य पंचायतों के कामकाज में सुधार करना और उन्हें अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है। मंत्रालय ने आयोजन, लेखांकन और बजटन जैसे पंचायत कार्यों को सरल बनाने के लिए एक लेखांकन एप्लिकेशन ई ग्रामस्वराज लॉन्च किया है। मंत्रालय ने वेंडर/सेवा प्रदाताओं को वास्तविक/ सही समय पर भुगतान करने के लिए ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ ई ग्रामस्वराज को भी एकीकृत किया है। वर्ष 2022-23 के लिए पश्चिम बंगाल राज्य में ई ग्रामस्वराज के तहत हुई प्रगति **अनुबंध** में दी गई है।

(ग) से (ङ) ई-पंचायत एमएमपी के तहत, पंचायतों में ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को कोई वित्तीय सहायता सीधे प्रदान नहीं की जाती है। पंचायत राज्य का विषय होने के फलस्वरूप, ग्राम पंचायतों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है। हालाँकि, 01.04.2022 से 31.03.2026 तक लागू की जा रही संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना, ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत भवनों, कंप्यूटरों और बाह्य उपकरणों जैसी कुछ बुनियादी सुविधाओं के लिए सीमित पैमाने पर वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को पूरा करती है। आरजीएसए के तहत राज्य को धनराशि प्रदान की गई है, न कि जिलों को। वर्ष 2022-23 के दौरान आरजीएसए के तहत पश्चिम बंगाल को 4.28 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। साथ ही, देश में सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए नेटवर्क बनाने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से भारतनेट परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। देश में भारतनेट परियोजना के तहत अब तक 1,99,144 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया जा चुका है। दिनांक 30.06.2021 तक की स्थिति के अनुसार भारतनेट का दायरा देश में ग्राम पंचायतों से सुदूर सभी आबादी वाले गांवों तक बढ़ा दिया गया है।

*****

अनुबंध

पश्चिम बंगाल में ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना से संबंधित दिनांक 01.08.2023 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1975 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर से संदर्भित अनुबंध

पंचायत स्तर पर ई ग्राम स्वराज को अपनाना

क्र.सं	वित्त वर्ष	जिला पंचायतों की कुल संख्या एवं समकक्ष	अपलोड की गई योजनाएं	ऑनबोर्ड जिला पंचायतें (ईजीएस - पीएफएमएस)	ऑनलाइन भुगतान के साथ जिला पंचायतें और समकक्ष	ब्लॉक पंचायतों की कुल संख्या एवं समकक्ष	अपलोड की गई योजनाएं	ऑनबोर्ड ब्लॉक पंचायतें (ईजीएस - पीएफएमएस)	ऑनलाइन भुगतान के साथ ब्लॉक पंचायतें और समकक्ष	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या एवं समकक्ष	अपलोड की गई योजनाएं	ऑनबोर्ड ग्राम पंचायतें (ईजीएस - पीएफएमएस)	ऑनलाइन भुगतान के साथ ग्राम पंचायतें और समकक्ष
1	2021-22	22	21	21	21	344	334	336	333	3340	3228	3229	3213
2	2022-23	22	21	21	21	344	336	336	334	3340	3222	3229	3223
3	2023-24	22	21	21	21	344	335	336	4819	3340	3223	3229	3218

***